प्रेस विज्ञप्ति

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनांक 29.06.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघठा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/2025 धारा 137(2), 87,64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अनीश पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र उर्फ साधू चौहान निवासी मड़पौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 29.06.2025 को पारासीर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को दिनाँक 09.06.2025 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 सलमान अंसारी।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद अवैध देशी तंमचा .32 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में थाना धनघटा पुलिस द्वारा दिनाँक 29.06.2025 को ग्राम चपरापूर्वी खाले पुरवा से एक नफर अभियुक्त दिनेश चौहान पुत्र सिद्धू चौहान निवासी चपरापूर्वी खाले पुरवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध देशी तंमचा .32 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 318/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध देशी तंमचा .32 बोर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, का0 सुमित कुमार, का0 संतोष यादव, म0का0 दामिनी सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 116 वाहनों से 1,45,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 116 वाहनों से 1,45,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 531/2025 धारा 103(1),3(5) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 मुस्तकीम पुत्र स्व0 छेदी निवासी मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

मो0 मुस्तकीम पुत्र स्व0 छेदी निवासी मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर **।**

विदित हो कि वादी श्री पवन कुमार चौबे पुत्र स्व0 मुरलीधर चौबे निवासी कौवाडाड थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 21.06.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.06.2025 को वादी के मामा हनुमान के साथ पूर्वांचल राइस मिल में मारपीट की घटना कारित की गयी थी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.06.2025 को अमित कुमार पुत्र सज्जन लाल निवासी कौवाडाड़ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था उसी क्रम में **आज दिनांक 29.06.2025 को** अभियुक्त मो0 मुस्तकीम पुत्र स्व0 छेदी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अर्जन पाल, का0 कृष्णानन्द शाह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 244/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता एजाज अहमद पुत्र मो0 इब्राहिम निवासी लेडुआ महुआ रसूलाबाद थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को बखिरा मेंहदावल तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 22.06.2025 को थाना बखिरा पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री आजम अंसारी, हे0का0 अमित सिंह, का0 लवकेश यादव।